स्पीड-पोस्ट

संख्याः-494जेएल/22-3-2023-200(1)/2022

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 13 जुलाई, 2023

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-17933/प्रो0अनु0(2)-247/गृह अवकाश/2023, दिनांक 30-05-2023 एवं पत्र संख्या-21942/प्रो0अनु0(2)-247/गृह अवकाश/2023, दिनांक 06.07.2023 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध 35 सिद्धदोष बंदियों के दण्डादेश के निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात संलग्न सूची के अनुसार उन्हें 15 (पन्द्रह) दिनों के लिये घर जाने हेतु अनिवार्य रूप से मुक्त किया जाय। बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि:-

1. बंदी द्वारा आदर्श कारागार, लखनऊ में एक वर्ष की सजा पूर्ण कर ली गयी हो और उसका कार्य एवं आचरण अच्छा हो।
2. यदि कोई बंदी मा0 उच्चतम न्यायालय के सामान्य आदेशों के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त किया गया है, उसने अभी कारागार में आत्म समर्पण नहीं किया है तो उसे गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।
3. यदि बंदी की सजा किसी अन्य प्रदेश में स्थित मा0 न्यायालय से हुयी हो तो उसको गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।
4. गृह अवकाश उन्हीं बंदियों को स्वीकृत किया जाय जो पैरोल के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र हों अर्थात हत्या के मामले में 03 वर्ष एवं डकैती सहित हत्या के मामले में 04 वर्ष की अपरिहार सजा भोगी जा चुकी है।
5. बंदी पूर्व वर्षों में स्वीकृत गृह अवकाश की समाप्ति के उपरान्त समय से निर्धारित तिथि पर कारागार में वापस हाजिर हुआ हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. बंदी के पास रहने के लिये घर हो तथा उसके खाते में श्रम द्वारा अर्जित इतनी धनराशि जमा हो कि गृह अवकाश पर जाने तथा वापस आने के लिये व्यय की जाने वाली धनराशि के पश्चात भी उसके खाते में कम से कम रू0-10.00 शेष रहे।
7. जिन बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त किया जायगा उसकी सूचना अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ दी जायेगी कि बंदी के गृह अवकाश की अवधि में सम्बन्धित थाने के माध्यम से नियमित निगरानी एवं अवकाश अवधि की समाप्ति के पश्चात उनकी समय से कारागार में वापसी सुनिश्चित करें।

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो बंदी गृह अवकाश के लिये अर्ह न हो, उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिये जाये।

3- उपरोक्त बंदियों को शासनादेश की प्रति प्रपत्र के प्रस्तर-2 में अवकाश की अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि सूची सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-17933/प्रो0अनु0(2)-247/गृह अवकाश/2023, दिनांक 30-05-2023 एवं पत्र संख्या-21942/प्रो0अनु0(2)-247/गृह अवकाश/2023, दिनांक 06.07.2023 के संदर्भ में।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
संजय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्याः-494जेएल/22-3-2023-200(1)/2022, दिनांक 13 जुलाई, 2023 का संलग्नक

क्र0	बंदी/पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	2	3	4
01	सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला	उन्नाव	14530
02	भगवानदीन पुत्र श्री सत्यनरायन	उन्नाव	14568
03	गिरीश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा प्रसाद	लखनऊ	14707
04	मो0 सलीम पुत्र श्री मो0 शाहिद	लखनऊ	14954
05	राम विलास पुत्र श्री प्रीतम	उन्नाव	15091
06	शिवनाथ पुत्र श्री शिवचरन	उन्नाव	17300
07	देशा उर्फ देशराज पुत्र श्री गज्जू	उन्नाव	15097
08	अशोक पुत्र श्री रमेश	उन्नाव	15112
09	शिवकुमार पुत्र श्री शंकर	उन्नाव	15133
10	रामप्रकाश पुत्र श्री प्रीतम	उन्नाव	15208
11	बब्लू उर्फ अजय कुमार तिवारी पुत्र श्री सालिकराम	हरदोई	15211
12	रामस्वरूप पुत्र श्री डालचन्द्र	पीलीभीत	15266
13	मो0 उस्मान पुत्र श्री अलीउल हसन	सीतापुर	17258
14	रामस्वरूप पुत्र श्री कन्धईलाल	पीलीभीत	15595
15	छोटे पुत्र श्री बद्री साहू	बांदा	15983
16	रामनिरंजन पुत्र श्री झगरू	सुल्तानपुर	15985
17	हरिवंश यादव उर्फ गोबरी पुत्र श्री ढोढई	महराजगंज	16006
18	संगमलाल उर्फ गोली पुत्र श्री सुकई	बाराबंकी	16009
19	तरसेम सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह	खीरी वर्तमान जनपद-गुरदासपुर (पंजाब)	16023
20	बरम सिंह उर्फ ब्रहम सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह	बिजनौर	16027
21	बरसाती पुत्र श्री भगवानदीन कोरी	बाराबंकी	17007
22	मेवालाल पुत्र श्री हेमराज	उन्नाव	17037
23	पौवा उर्फ पप्पू पुत्र श्री मासूक	कन्नौज	17047

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

24	निसार पुत्र श्री फारूक	कन्नौज	17048
25	कालीचरन पुत्र श्री रामबहादुर	पीलीभीत	17064
26	जागनलाल पुत्र श्री मनोहरलाल उर्फ रामचरन	पीलीभीत	17066
27	नवनीत उर्फ भूरे पुत्र श्री चन्द्र प्रभाकर शर्मा	पीलीभीत	17086
28	बुद्धसेन पुत्र श्री बिहारीलाल	पीलीभीत	17093
29	कुंवरसेन पुत्र श्री कन्धईलाल	पीलीभीत	17097
30	जनवरी पुत्र श्री केशवराम	बाराबंकी	17112
31	मनोज कुमार पुत्र श्री जगदीश जाट	मथुरा	17132
32	ज्ञानप्रकाश उर्फ गुड्डू पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त	गोरखपुर	17136
33	विनोद तिवारी पुत्र श्री रामप्रकाश	जालौन	17187
34	प्रदीप तिवारी पुत्र श्री रामप्रकाश	जालौन	17188
35	लाला राम पुत्र श्री कन्धईलाल	पीलीभीत	15594

संजय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।